फसलों के अवशेष/डंठल/ठूंठ/भूसा को जलाने से होने वाले नुकसान से संबंधित सलाह (Advisory)

राज्य के कतिपय जिलों से गेहूँ फसल की कटनी के बाद खेतों में छोड़े गये डंठलों को जलाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। डंठल जलाए जाने के फलस्परूप आग लगने की घटनाएं तेजी से हो रही हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

फसलों के अवशेष/डंठल/ठूंठ/भूसा जलाने से होने वाले नुकसान निम्न है :-

- पड़ोस के खेत/घर में आग का खतरा बढ़ जाता है और प्रायः आग भी लग जाती है। जिससे बड़ी तबाही तथा जान-माल का नुकसान होता है।
- बचे हुए अन्न के दानों एवं भूसे की हानि होती है।
- खेतों में मिट्टी के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिइन्टस नष्ट हो जाते हैं।
- खेतों में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी हो जाती है।
- फसलों के बचे हुए डंठलों/अवशेष/ठूंठ को जलाने से जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है जिससे उत्पादन घटता है।
- मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स मर जाते है। जिससे कार्बन अवशोषण में कमी हो जाती है।
- वातावरण में वायु प्रदूषण फैलता है, जिससे लोगों के सेहत जैसे की फेफड़ा और दिल की बीमारी का खतरा पैदा होता है।

फसलों के अवशेष/ठूंठ/भूसा नहीं जलाने से होने वाले लाभ निम्न है :-

खेत में डंठल को मिलाने से :-

- नाईट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की आवश्यकता पड़ती है।
- यह भूमि की उर्वरता को बनाये रखने का प्रमुख स्त्रोत है। इससे मृदा क्षरण नहीं होता है।
- भूमि के जल ग्रहण की क्षमता बनी रहती है।
- लाभदायक सुक्ष्म जीवों के प्रजनन एवं वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है।
- वातावरण शुद्ध रहता है।
- वायु प्रदूषण से बचाव होता है।
- मशीनों के प्रयोग से समयानुसार बहाई हो पाता है।
- स्ट्रा बेलर द्वारा बनाये गये गट्ठे बायोमास पावर जनरेशन प्लांट को बेचकर आमदनी में वृद्धि हो सकती है।

समाधान

खेत में फसलों के अवशेष/डंठल/ठूठों का स्ट्रा बेलर, रीपर बाईंडर एवं स्ट्रा रीपर द्वारा समुचित उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मल्चर/एम0बी0 प्लाऊ एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलो के अवशेष/डठल/ठूंठों को मिट्टी में मिलाकर कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अध्यक्ष-सह-जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे भी अपने जिलों में इस सलाह (Advisory) को सर्वसाधारण एवं किसानों की जानकारी हेतु जारी करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

Govt. of Bihar
Patna